रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3447] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2018/भाद्र 13, 1940
No. 3447] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2018/BHADRA 13, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2018

का.आ. 4259(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, महालेखा नियंत्रक भवन, ई-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एमएफ-सीजीए/एनटीआरपी/2017-18/466/14 तारीख 30 जून, 2017 और तत्पश्चात श्रम और रोजगार मंत्रालय,पत्र संख्या पीएओ/ऍमएस/ऍमआईएससी 2017-18/255, तारीख 16 मार्च, 2018, के अनुसरण में श्रम और रोजगार मंत्रालय से सम्बन्धित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तारीख 20 मार्च,2018 के अपने अंतर-कार्यालय पत्र द्वारा अनुदेश जारी किया है कि सभी संबंधित शाखाओं को यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी गैर-कर प्राप्तियों को तारीख 01 अप्रैल,2018 से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की गई है

और उक्त यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाएँ वास्तविक चालान को स्वीकार नहीं कर रही हैं,

और ऐसे चालान की अस्वीकृति से आपात स्थिति पैदा हो गई है, जिसे ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम 1971 में उचित संशोधन द्वारा केवल दूर किया जा सकता है, जिसमे पर्याप्त समय लग सकता है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्रीय सरकार के लिए यह ठीक और उचित है, जो निदेश देता है कि नियम 17,18,19,20,21,23,24,25,28 और 38 के उपबंध, जहां तक उनका सम्बन्ध आवेदन करने से हैं और उसके अन्य आनुसंगिक मामलों को ऑफलाइन करने और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा शुल्क और सुरक्षा निक्षेप का संदाय करने से संबंधित हैं, किसी भी स्थापन या ठेकेदारों पर लागू नहीं होगा और इसके बदले में वहां-

(i) रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर प्रस्तुत किया जा सकता है ;

(ii) किसी शुल्क या सुरक्षा निक्षेप को ई- संदाय द्वारा किया जाएगा ;

(iii) उपरोक्त खंड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित किसी भी पावती या सूचना को श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न किया जाएगा ;

(iv) रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र को श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन दिया जा सकता है ।

2. इस अधिसूचना के निर्वचन या कार्यान्वयन सम्बन्धी किसी स्पष्टीकरण के मामले में श्रम और रोजगार मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जा सकता है और इस संबंध में मंत्रालय का स्पष्टीकरण सभी संबंधित पर बाध्यकारी होगा ।

3. यह अधिसूचना तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उसे विखंडित न कर दिया जाय।

[फा. सं .एस-16011/04/2017-एलडब्ल्यू (ए)(i)]

राजित पुनहानी, महा निदेशक (श्रम कल्याण) संयुक्त सचिव

टिप्पण : ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम 1971 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i), में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.191 तारीख 10 फरवरी 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1594(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2018

S.O. 4259(E).—Whereas, in pursuance of the Office Memorandum number MF-CGA/NTRP/2017-18/466/XIV dated 30th June, 2017 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Office of the Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, E-Block, GPO Complex, INA, New Delhi – 110023 and thereafter the Ministry of Labour and Employment letter number PAO/MS/MISC/2017-18/255 dated 16th March, 2018, the Union Bank of India dealing with the Ministry of Labour and Employment vide its Inter-Office Letter dated 20th March, 2018 has issued instruction that it's all concerned branches are required to ensure that all non-tax receipts are remitted by way of electronic mode with effect from 01stApril, 2018;

And whereas, all branches of the said Union Bank of India are not accepting physical challan;

And whereas, such non acceptance of challan has created the emergency situation which could only be obviated by suitably amending the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 which may take considerable time;

Now, therefore, it is just and proper for the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) read with article 73 of the Constitution of India, hereby direct that the provisions of rules 17,18,19,20,21,23,24,25,28 and 38 in so far as they relate to making of applications and other incidental matters thereto offline and the payment of fee and security deposit by demand draft shall not apply to any establishment or contractors and instead thereof,-

(i) any application for registration or licence may be submitted online on Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment;

(ii) any fee or security deposit shall be made by e-payment;

(iii) any acknowledgement or information relating to the matters specified in clause (i) and (ii) above shall be generated electronically on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment;

(iv) the certificate of registration or licence may be granted online on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour & Employment.

2. In case of any clarification regarding the interpretation or implementation of this notification, the matter may be referred to the Ministry of Labour and Employment and the clarification of the Ministry in this regard shall be binding on all concerned.

3. This notification shall be in force till it is rescinded by the Central Government by subsequent notification.

[F. No. S-16011/04/2017-LW(A)(i)]

RAJIT PUNHANI, Director-General (Labour Welfare) Jt. Secy.

Note : The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 191, dated the 10th February,1971 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1594(E), dated the 29th December, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2018

का.आ. 4260(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, महालेखा नियंत्रक भवन, ई- ब्लॉक,जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,नई दिल्ली-110023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एमएफ- सीजीए/एनटीआरपी/2017-18/466/14, तारीख 30 जून, 2017 और तत्पश्चात श्रम और रोजगार मंत्रालय,पत्र संख्या पीएओ/ऍमएस/ऍमआईएससी 2017-18/255 तारीख 16 मार्च,2018, के अनुसरण में श्रम और रोजगार मंत्रालय से सम्बन्धित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तारीख 20 मार्च,2018 के अपने अंतर-कार्यालय पत्र द्वारा अनुदेश जारी किया है कि सभी संबंधित शाखाओं को यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी गैर- कर प्राप्तियों को तारीख 01अप्रैल,2018 से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की गई है ;

और उक्त यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाएँ वास्तविक चालान को स्वीकार नहीं कर रही हैं ;

और ऐसे चालान की अस्वीकृति पर विचार करते हुए ,केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अस्वीकृति स्थापनों में भर्ती और नियोजन कि शर्तों से संबंधित सुसंगत परिस्थितियां प्रतिकूल प्रभाव डालती है और ऐसे प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा -शर्त) केंद्रीय नियम 1980 में उचित संशोधन करना अपेक्षित है, जिसमे पर्याप्त समय लग सकता है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के साथ पठित अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त)1979 (1979 का 30) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्रीय सरकार के लिए यह ठीक और उचित है, जो निदेश देता है कि नियम 3,4,5,6,7,9,10,11,13,14 और 20 के उपबंध, जहां तक उनका सम्बन्ध आवेदन करने से हैं और उसके अन्य आनुसंगिक मामलों को ऑफलाइन करने और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा शुल्क और सुरक्षा निक्षेप का संदाय करने से संबंधित हैं, किसी भी स्थापन या ठेकेदारों पर लागू नहीं होगा और इसके बदले में वहां-

(i) रजिस्ट्रीकरण या अनुग्यप्ति के लिए कोई आवेदन श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर प्रस्तुत किया जा सकता है ;

(ii) किसी शुल्क या सुरक्षा निक्षेप को ई-संदाय द्वारा किया जाएगा ;

(iii) उपरोक्त खंड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित किसी भी पावती या सूचना को श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न किया जाएगा ;

(iv) रजिस्ट्रीकरण या अनुग्यप्ति प्रमाण पत्र को श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन दिया जा सकता है।

2. इस अधिसूचना के निर्वचन या कार्यान्वयन सम्बन्धी किसी स्पष्टीकरण के मामले में श्रम और रोजगार मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जा सकता है और इस संबंध में मंत्रालय का स्पष्टीकरण सभी संबंधित पर बाध्यकारी होगा।

3. यह अधिसूचना तब तक प्रवर्त रहेगी जबतक केंद्रीय सरकार द्वारा पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उसे विखंडित न कर दिया जाय।

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एलडब्ल्यू (ए)(ii)]

राजित पुनहानी, महा निदेशक (श्रम कल्याण) संयुक्त सचिव

टिप्पण : अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) केंद्रीय नियम 1980 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i), में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513 (अ) तारीख 11.08.1980 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1595(अ) तारीख 29 दिसम्बर 2017 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2018

S.O. 4260(E).—Whereas, in pursuance of the Office Memorandum number MF-CGA/ NTRP/2017-18/466/XIV dated 30th June, 2017 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Office of the Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, E-Block, GPO Complex, INA, New Delhi – 110023 and thereafter the Ministry of Labour and Employment letter number PAO/MS/MISC/2017-18/255 dated 16th March, 2018, the Union Bank of India dealing with the Ministry of Labour and Employment *vide* its Inter-Office Letter dated 20th March, 2018 has issued instruction that it's all concerned branches are required to ensure that all non-tax receipts are remitted by way of electronic mode with effect from 01st April, 2018;

And whereas, all branches of the said Union Bank of India are not accepting physical challan;

And whereas, considering such non acceptance of challan, the Central Government is satisfied that such non-acceptance may adversely affect the relevant circumstances relating to the recruitment and conditions of employment in the establishments and to obviate such adverse effect, it is required to suitably amend the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980 which may take considerable time;

Now, therefore, it is just and proper for the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 31 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) read with article 73 of the Constitution of India, hereby direct that the provisions of rules 3,4,5,6,7,9,10, 11,13,14 and 20 in so far as they relate to making of applications and other incidental matters thereto offline and the payment of fee and security deposit by demand draft shall not apply to any establishment or contractors and instead thereof-

(i) any application for registration or licence may be submitted online on Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment;

(ii) any fee or security deposit shall be made by e-payment;

(iii) any acknowledgement or information relating to the matters specified in clause (i) and (ii) above shall be generated electronically on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment;

(iv) the certificate of registration or licence may be granted online on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour & Employment.

2. In case of any clarification regarding the interpretation or implementation of this notification, the matter may be referred to the Ministry of Labour and Employment and the clarification of the Ministry in this regard shall be binding on all concerned.

3. This notification shall be in force till it is rescinded by the Central Government by subsequent notification.

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)(ii)]

RAJIT PUNHANI, Director-General (Labour Welfare) Jt. Secy.

Note : The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 513(E), dated 11.08.1980 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1595(E), dated the 29th December, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.07 09:43:32 +05'30'